

17/6/25

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी  
 उपस्थित ~~उपस्थित~~ पत्रावली व उपलब्ध  
 रिकॉर्ड के अध्ययन एवं प्रार्थी की  
 बहस के पश्चात् हस्तागत प्रकरण में  
 स्वीकार्य है कि प्रार्थी द्वारा अपनी  
 खातदारी ग्राम ग्राम बड़ा II के  
 खसरा न. 3131 में आवागमन हुई  
 रास्ता उपलब्ध नहीं होने से  
 पड़ोसी खातदारी की ग्राम के ख. न.  
 3129 व 3133 में से नवीन रिकॉर्ड  
 रास्ता पाया है। तहसीलदार, बाली  
 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार  
 उक्त रास्ता में तकरीबन 328 वर्गमीटर  
 खातदारी ग्राम प्रभावित होगी।  
 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी)



3  
 सहायक कलेक्टर एवं पंचायत  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट जवाब है कि खातेदार को आत्मान्तक आवश्यकता होने पर ही रिकार्ड्स रास्ता उपलब्ध करवाये जाते हैं। उपरोक्त आवेदनकारों द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

चूंकि दस्तावेज प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पड़ोसी खातेदारी ग्राम के ख. नं. 3129 व 3133 में अपनी जोत खेत तक पहुंचाने हेतु रास्ता चाहिए है। तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट पत्रांक : राजस्व / 2024 / 3107 दिनांक 6/3/2024 के बिन्दु संख्या 01



संज्ञक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी जोत में जान-जान हेतु इसी खसरा नं. 3129 व 3133 की खातेदारी ग्राम को

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपरोक्त उपयोग करता आ रहा है इस प्रकार खातेदार को पड़ोसी खातेदारी ग्रामों में से रिकार्ड्स

रास्ता उपलब्ध करवाने की  
आत्यान्तक आवश्यकता सिद्ध नहीं  
होती है। अतः खातदारी ग्राम ख.  
नं. 3129 व 3133 से रास्ता दिया  
जाना व्यापकगत नहीं होने से  
प्राथम्य - पत्रा प्राथम्य ~~अन्तगत~~  
द्वारा 251ए खारेज किया जाता  
है पत्रावली केसल शुमार होकर  
नम्बर से कम है।



सहायक कलक्टर एवं पट्टेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली